यू.ओ.नोट

विषयः—29.01.2022 से 21.04.2022 तक प्रवर्तन प्रकोष्ठ द्वारा सील की गई अवैध बिल्डिंग—व्यावसायिक भवनो को जेडीए वेबसाईट पर अपलोड़ करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रवर्तन शाखा द्वारा दिनांक 01.01.2020 से दिनांक 28.01.2022 तक कुल 90 अवैध बिल्डिंग—व्यावसायिक भवनो को सील किया जाकर सूची जेडीए की वेबसाईट पर अपलोड करवाया गयी है; इसी क्रम में दिनांक 29.01.2022 से 21.04.2022 तक प्रवर्तन प्रकोष्ठ द्वारा सील की गई **कुल—11** अवैध बिल्डिंग—व्यावसायिक भवनो को जेडीए की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।

संलग्नः—उपर्युक्तानुसार जोनवार सूची (कुल पृष्ठ—04)

24/04/2022

(रघुवीर सैनी)
मुख्य नियंत्रक—प्रवर्तन,

सिस्टम एनालिस्ट,
जविप्रा, जयपुर।

क्रमांकः—जविप्रा / मुनिप्र / 2022 / डी— 1067 दिनांक 25/04/2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ सादर प्रेषित हैः—

1. आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, जविप्रा, जयपुर।
4. अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन), जविप्रा, जयपुर।

24/04/2022

(रघुवीर सैनी)
मुख्य नियंत्रक—प्रवर्तन

दिनांकः 29.01.2022 से 21.04.2022 तक सील किये गये भवनो की सूची।

क्र.सं.	जोन	सील किये गये भूखण्ड का पता	सील करने की दिनांक	सील करने के कारण	व्यावसायिक /आवासीय	वर्तमान स्थिति
1	13	खसरा नं. 3797 ग्राम–चोमू चंदा रिसोर्ट के पास सीकर–जयपुर हाईवे से लगती हुई।	04.02.2022	खसरा नं. 3797 ग्राम–चोमू चंदा रिसोर्ट के पास सीकर–जयपुर हाईवे से लगती हुई निजी खातेदारी (कृषि) भूमि करीब 50 बाई 20 पर बिना भूरूपान्तरण कराये बिना जेडीए की अनुमति एवं स्वीकृति के अवैध रूप से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ बने 07 दुकानों के संबंध में धारा 32,33 जेडीए एक्ट का नोटिस देकर निर्माण कार्य रूकवाया जाने के बावजूद भी अवैध निर्माण जारी रखने पर उक्त अवैध 07 दुकानों की सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जाकर दुकानों के शटरों पर ताले व सील चपडी लगाकर ईटो की दीवारों से चुनवाकर नियमानुसार सीलिंग की कार्यवाही की गयी।	व्यावसायिक	वर्तमान में सील है।
2	10	सुख सागर कॉलोनी, लुणियावास	21.02.2022	जोन–10 के क्षेत्राधिकार ईकॉलोजिकल जोन क्षेत्र में लुणियावास विगत समय में रातो–रात नवीन अवैध कॉलोनी सुख सागर बसाने के प्रयोजनार्थ से बने गंभीर प्रकृति के पूर्ण बने 10 अवैध विलाज की इंजिनियरिंग विंग की सहायता से प्रवेश द्वारो पर ईटो की दीवारो की चुनवाई कर पुख्ता सीलिंग एवं निर्माणाधीन 15 अवैध विलाजो को जेसीबी मशीन व मजदूरो की सहायता से पूर्ण ध्वस्तीकरण किया गया।	आवासीय	वर्तमान में सील है।
3	06	भूखण्ड संख्या ए–78 खाटूश्याम मंदिर के पास मुरलीपुरा।	24.02.2022	जोन–06 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित श्याम मित्र मण्डल आवासीय योजना खाटूश्याम मंदिर के पास मुरलीपुरा में भूखण्ड संख्या ए–78 क्षेत्रफल 277.95 वर्गगज में जीरो सैटबैक पर बिल्डिंग बायलॉज का गंभीर उल्लंघन कर बैसमेन्ट+04 मंजिला वृहद व्यावसायिक बिल्डिंग का निर्माण कर लिया जिसके प्रथम, द्वितीय व तृतीय फ्लोर पर 06 फ्लेट का वृहद अवैध व्यावसायिक निर्माण का अवधान में आते ही दिनांक 20.10.2021 को धारा 32, 33 जेडीए एक्ट के नोटिस दिये अवैध निर्माण रूकवाया जाकर अवैध निर्माण हटाने हेतु पाबन्द किया जाकर आगे अवैध निर्माण नहीं होने देने हेतु गार्ड नियुक्त किये हुये थे। लेकिन निर्माणकर्ता द्वारा अवैध निर्माण नहीं हटाया गया जिस पर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर कल दिनांक 23.02.2022 को धारा 34(क) जेडीए एक्ट नोटिस जारी कर नियमानुसार 24.02.2022 को उक्त अवैध 04 मंजिला व्यावसायिक बिल्डिंग के प्रवेश द्वारो सिढियों को जविप्रा की इंजिनियरिंग शाखा से ईटो की दीवारो से चुनवाकर सीलिंग की कार्यवाही की गई।	व्यावसायिक बिल्डिंग फ्लेटस	वर्तमान में सील है।

4	06	भूखण्ड संख्या 5 से 16 16ए, 17, 18, 19, 20 एवं 28, 29, 30, 31 शंकर विहार–प्रथम, नांगल जैसा बोहरा।	01.03.2022	जोन–06 के क्षेत्राधिकार नांगल जैसा बोहरा में बिना अनुमति एवं स्वीकृति के बिना भूरूपान्तरण कराये करीब 1.5 बीघा कृषि भूमि पर बसायी गई गैर अनुमोदित योजना शंकर विहार–प्रथम के भूखण्ड संख्या 5 से 16 16ए, 17, 18, 19, 20 एवं 28, 29, 30, 31 में कुल 28 विलाज पर जीरो सैटबैक पर वृहद् व्यावसायिक प्रयोजनार्थ अवैध निर्माणों के अवधान में आते ही 03.11.2021 को धारा 32, 33 के नोटिस जारी कर अवैध निर्माण रूकवाया जाकर हटाने हेतु पाबन्द किया अवैध निर्माण नहीं होने देने हेतु गार्ड नियुक्त किये गये थे, लेकिन निर्माणकर्ता द्वारा अवैध निर्माणकर्ता द्वारा अवैध निर्माण नहीं हटाया गया जिस पर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर कल दिनांक 28.02.2022 को धारा 34(क) जेडीए एक्ट के नोटिस जारी कर नियमानुसार दिनांक 01.03.2022 को उक्त अवैध 28 वृहद व्यावसायिक विलाज के प्रवेश द्वारो सिढियो को जविप्रा की इंजिनियरिंग शाखा से ईटो की दीवारो से चुनवाकर पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई।	वृहद् व्यावसायिक 28 विलाज	वर्तमान में सील है।
5	08	खसरा नं. 225, 226, 227, 229, 231 व 232 काला बड से बक्सावाला की और जाने वाली मुख्य रोड ग्राम–गोविन्दपुरा	11.03.2022	जोन–08 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्राम–गोविन्दपुरा काला बड से बक्सावाला की और जाने वाली मुख्य रोड पर खसरा नं. 225, 226, 227, 229, 231 व 232 क्षेत्रफल करीब 213 वर्गगज में कृषि भूमि पर जेडीए से बिना भूरूपान्तरण कराये जेडीए की बिना अनुमति व स्वीकृति के अवैध रूप से बेसमेन्ट एवं ग्राउण्ड फ्लोर पर 16 वृहद् अवैध व्यावसायिक दुकानो के निर्माणाधीन होने के अवधान में आते ही दिनांक 27.11.2022 को धारा 32, 33 जेडीए एक्ट के नोटिस दिये अवैध निर्माण रूकवाया जाकर अवैध निर्माण हटाने हेतु पाबन्द किया जाकर आगे अवैध निर्माण नहीं होने देने हेतु गार्ड नियुक्त किये किन्तु निर्माणकर्ता द्वारा अवैध निर्माण नहीं हटाया गया कार्य जारी रखा गया बैसमेन्ट एवं ग्राउण्ड के उपर बनी वृहद व्यावसायिक 16 दुकानो के प्रवेश द्वारो सिढीयां इत्यादि को जविप्रा की इंजिनियरिंग शाखा से ईटो की दीवारो से चुनवाकर सीलिंग की कार्यवाही की गई।	वृहद् व्यावसायिक 16 दुकाने	वर्तमान में सील है।
6	12	माचवा, मुख्य कालवाड रोड पर अवस्थित रामकुटियां क्षेत्रफल 113 बाई 22 वर्गफीट	12.03.2022	जोन–12 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित रामकुटियां, माचवा, मुख्य कालवाड रोड पर कृषि भूमि पर बिना भूरूपान्तरण कराये जेडीए की बिना अनुमति एवं स्वीकृति के करीब 113 बाई 22 वर्गफीट क्षेत्रफल में बैसमेन्ट+तीन मंजिला वृहद् अवैध दुकानो व व्यावसायिक बिल्डिंग का अवैध निर्माण का अवधान में आते ही दिनांक 20.10. 2021 को धारा 32, 33 जेडीए एक्ट अधिनियम 1982 के तहत नोटिस जारी किया जाकर अवैध निर्माण का जविप्रा से नियमन करवाने अथवा अवैध निर्माण हटाने हेतु पाबन्द किया गया अवैध निर्माण नहीं होने देने हेतु गार्ड नियुक्त किये गये उपरोक्त कृषि भूमि पर अवैध रूप से बनायी गई दुकानो को नियमानुसार इंजिनियरिंग शाखा की सहायता से इसके प्रवेश द्वारो सिढियों इत्यादि को ईटो की दीवारो से चुनवकार ताले, सील चपडी लगाकर पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई।	वृहद् व्यावसायिक दुकाने	वर्तमान में सील है।

7	4	भूखण्ड सं. 06 चन्द्रकला कॉलोनी	15.03.2022	जोन–04 क्षेत्राधिकार में अवस्थित चन्द्रकला कॉलोनी में जविप्रा स्वामित्व के भूखण्ड सं. 06 में क्षेत्रफल 56 बाई 100 में पिछले 40 वर्षो से कब्जा– अतिक्रमण कर बनी ईमारत भूतल+प्रथम मंजिल जिसमें व्याव्यायिक कारखाना संचालित किया जाने पर नियमानुसार इंजिनियरिंग शाखा की सहायता से इसके प्रवेश द्वारो सिढियों इत्यादि को ईटो की दीवारो से चुनवकार ताले, सील चपडी लगाकर पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई।	आवासीय	वर्तमान में सील है।
8	4	भूखण्ड सं. 07 चन्द्रकला कॉलोनी	15.03.2022	जोन–04 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित चन्द्रकला कॉलोनी में जविप्रा स्वामित्व के भूखण्ड सं. 07 में क्षेत्रफल 56 बाई 100 में पिछले 40 वर्षो से कब्जा– अतिक्रमण कर जीरो सेटबेक पर बनाई चार मंजिला बिल्डिंग की शिकायत मिलने पर उक्त बिल्डिग जविप्रा स्वामित्व की भूमि पर बनी होने पर धारा 72 का नोटिस जारी किया गया। उक्त बिल्डिग के उपर पी.जी. संचालित किया जा रहा था पिछले हिस्से में परिवार निवासरत था व अग्र भाग में एलोविरा, ज्वारा वगैहरा का कार्य किया जा रहा था । उक्त बिल्डिग के पिछले हिस्से में निवासरत परिवार के उपयोग में लिये जा रहे हाल व कमरो व अग्र भाग के कुछ हिस्से का खाली करवाकर करीब 60 प्रतिशत हिस्से की नियमानुसार इंजिनियरिंग शाखा की सहायता से प्रवेश द्वारो सिढियों इत्यादि को ईटो की दीवारो से चुनवकार ताले, सील चपडी लगाकर पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई। उक्त बिल्डिग पिछले हिस्से में सीनियर सीटिजन व बच्चे परिवार सहित निवास कर रहे व बिल्डिग के उपर संचालित पी.जी. को जल्द ही खाली करवानें की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	आवासीय	वर्तमान में सील है।
9	12	शिवम विहार–13 कॉलोनी, कालवाड रोड ग्राम–माचवा।	30.03.2022	जोन–12 के क्षेत्राधिकार में कालवाड रोड ग्राम–माचवा में कृषि भूमि पर बिना भूरूपान्तरण कराये बिना जविप्रा की अनुमति अनुमोदन के करीब 06 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर नवीन अवैध कॉलोनी शिवम विहार–13 के नाम से सृजित कर बिल्डिंग बायलॉज का गंभीर वायलेशन कर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ 34 अवैध विलाजो का निर्माणों की इंजिनियरिंग विंग की सहायता से इनके प्रवेश द्वारो पर ईटो की दीवारो की चुनवाई कर नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई।	व्यावसायिक 34 विलाज	वर्तमान में सील है।
10	10	प्लॉट संख्या 08, राजेन्द्र नगर लुनियावास।	12.04.2022	जोन–10 के क्षेत्राधिकार में लुनियावास के पास जविप्रा की बिना अनुमति व स्वीकृति के गैर अनुमोदित योजना के राजेन्द्र नगर के प्लॉट संख्या 08 से 25 मे लगभग 143 बाई 60 फीट में बिल्डर द्वारा व्यावसायिक प्रयोजनार्थ कुल 17 विलाज का वृहद अवैध निर्माण विगत दिनो रातो–रात करने पर दिनांक 23. 03.2022 को धारा 32 जविप्रा अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया जाकर अवैध निर्माण हटाने हेतु पाबन्द किया गया था किन्तु अवैध निर्माणकर्ता द्वारा नोटिस का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया; ना ही निर्माण संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये उक्त अवैध व्यावसायिक 17 विलाज के प्रवेश द्वारो सिढीयों को जविप्रा की इंजिनियरिंग शाखा से ईटो की दीवारो से चुनवाकर, गेटो पर ताला सील चपडी लगाकर पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई।	व्यावसायिक 17 विलाज	वर्तमान में सील है।

11	07	भूखण्ड़ संख्या बी–3 गणेश नगर।	12.04.2022	जोन–07 के क्षेत्राधिकार में जविप्रा की बिना अनुमति व स्वीकृति के गैर अनुमोदित योजना गणेश नगर के भूखण्ड संख्या बी–3 क्षेत्रफल करीब 250 वर्गगज में जीरो सैटबैक व बिल्डिग बायलॉज का गंभीर वायलेशन कर बेसमेन्ट+साढे तीन मंजिल अर्था बैसमेन्ट सहित साढ़े चार मंजिल का वृहद व्यावसायिक अवैध निर्माण करने पर अवैध निर्माणकर्ता को दिनांक 29.11.2021 को धारा 32, 33 का नोटिस जारी किया जाकर अवैध निर्माण रूकवाकर निर्माण को हटाने हेतु पाबन्द किया गया था। उक्त अवैध वृहद् व्यावसायिक बिल्डिंग के प्रवेश द्वारो सिढीयों को जविप्रा की इंजिनियरिंग शाखा से ईटो की दीवारो से चुनवाकर, गेटो पर ताला सील चपडी लगाकर पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई।	व्यावसायिक बिल्डिंग	वर्तमान में सील है।